न्यायालय जिला कलक्टर , फलोदी

पीठासीन अधिकारीः— श्वेता चौहान (आई.ए.एस.)

पंचायत निगरानी संख्याः— 06 / 2025

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
पूनाराम पुत्र कोशलाराम, जाति मेघवाल, निवासी आऊ, तहसील आऊ, जिला फलौदी		1. ग्राम पंचायत आऊ जरिये सरपंच / प्रशासक 2. ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत आऊ 3. रसूल खां पुत्र ताजू खां, जाति सिन्धी मुसलमान, निवासी आऊ, तहसील आऊ, जिला फलौदी

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतराज अधिनियम 1994 विरूद्व आदेश सरपंच ग्राम पंचायत आऊ पट्टा संख्या 90 ए मिसल संख्या 163 ए / 2004—05 दिनांक 16.12.2004

उपस्थित वकील —:

अपीलाण्ट् की ओर से— अधिवक्ता श्री रेवतसिंह पातावत।

रेस्पोडेण्ट्स संख्या 03 की ओर सेः— अधिवक्ता श्री भंवरलाल जोशी।

निर्णय दिनांकः— 23/09/2025

1. निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 प्रार्थी पूनाराम पुत्र कोशलाराम की ओर से अप्रार्थीगण संख्या 03 के पक्ष में ग्राम पंचायत आऊ पट्टा संख्या 90 । मिसल संख्या 163। / 2004—05 दिनांक 16.12.2004 के विरूद्व पेश की है।

2. अपील का संक्षिप्त सारांश इस प्रकार है कि प्रार्थी ग्राम आऊ का मूल निवासी है। ग्राम आऊ की आबादी भूमि में प्रार्थी के कदीमी आवासीय भूखण्ड का पट्टा संख्या 7 मिसल संख्या 6 / 1998—1999 दिनांक 10.07.1999 को नियम 266 राजस्थान पंचायती राज नियम 1961 के अन्तर्गत अक्षरे इकयासी रूपये पच्चीस पैसे प्रतिफल राशि जरिये रसीद बुक नम्बर 2 / 5 दिनांक 10.07.1999 को जमा कर विधिनुसार जारी किया गया। प्रार्थी द्वारा अपने उक्त पट्टाशुदा भूखण्ड के चारो आरे पट्टीयां रोपकर एक रहवासी कोटड़ बनाकर घेरा हुआ है एवं उसका उपयोग उपभोग किया जा रहा है। दिनांक 24.03.2025 को प्रार्थी के उपरोक्त आवासीय पट्टाशुदा भूखण्ड व जायगा में अप्रार्थी संख्या 03 व अन्य ने व्यवधान पैदा किया तो प्रार्थी द्वारा दिनांक 27.03.2025 को न्यायालय सिविल न्यायाधीश व न्यायिक मजिस्ट्रेट फलौदी में अपने उक्त भूखण्ड बाबत स्थाई निषेधाज्ञा व आदेशात्मक आज्ञा का वाद प्रस्तुत किया जिसमें अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से दिनांक 07.05.2025 को फार्म नंबर तीन के साथ दस्तावेज तथा निगरानीधीन पट्टा संख्या 90ए की फोटो प्रति न्यायालय में पेश की जिसकी प्रति दिनांक 07.05.2025 को प्राप्त कर अवलोकन कर व्यथित होने से निरस्त करवाने हेतु निगरानी याचिका आपके क्षेत्राधिकार में होने से अपीलांटगण ने अपील न्यायालय में पेश की है।

जिला कलक्टर
फलोदी

3. पत्रावली जरिये अधिवक्ता श्री रेवतसिंह पातावत के द्वारा अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 के तहत पेश की गई जिसे जांच उपरान्त दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस जारी किये गये। प्रार्थी अधिवक्ता ने अप्रार्थीगण को भेजे गये सम्मन की डाक रसीदे पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। अप्रार्थी संख्या 03 की ओर से अधिवक्ता श्री भंवरलाल जोशी ने वकालातनामा प्रस्तुत किया गया। जिसे शामिल मिसल किया गया। ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत आऊ से मूल रेकर्ड तलब किया गया। ग्राम विकास अधिकारी आऊ से ग्राम पंचायत में पट्टे से सम्बन्धित रिकार्ड उपलब्ध नहीं होना बताया गया। ग्राम विकास अधिकारी ने जरिये पत्र बताया कि पट्टा संख्या 60 ए , मिसल संख्या 163 ए ग्राम पंचायत द्वारा आबादी भूमि में किसी प्रकार का पट्टा जारी करने के दस्तावेज ग्राम पंचायत रेकड़ में उपलब्ध नहीं है। उक्त पट्टा मनगढ़त दस्तादेज से ग्राम पंचायत आऊ में तहसील सड़क और नागौर फलौदी रोड की सड़क सीमा में अतिक्रमण किया गया है। तत्पश्चात पत्रावली को बहस हेतु नियत किया गया।

4. अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में बताया कि अप्रार्थी संख्या 09 के नाम से बना हुआ पट्टा संख्या 90 ए, मिसल संख्या 163 ए/2004–2005 दिनांक 16.12.2004 एक फर्जी एवं कूटरचित पट्टा है। जिसे प्रथम दृष्टया न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय फलौदी द्वारा संदिग्ध माना गया है। प्रार्थी के नाम से वर्णित स्थल का पट्टा वर्ष 1999 में जारी किया गया है। उक्त पट्टा स्थल की आवासीय भूमि पर प्रार्थी का कदीमी आवास ग्राम आऊ के मध्य मैन रोड़ के पास आम लोगो की दृष्टयता, प्रार्थी का दृश्यमान कब्जा व आवास होते उसी स्थल का पट्टा पुनः अप्रार्थी संख्या 03 के नाम जारी नहीं किया सकता। अप्रार्थी संख्या 03 के नाम से जारी निगरानीधीन पट्टा जो राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1996 के नियम 157 के तहत पट्टा जारी किया है। नियम 157 पुराने गृहो का विनियमितिकरण के आधार पर 50 वर्ष से अधिक पूर्व में निर्मित मकानों हेतु 100 रूपये एवं इन नियमों के लागू होने की तिथि को 50 वर्षो के दौरान बने पुराने मकानों हेतु 200 रूपये शुल्क का निर्धारण किया गया है। परन्तु मौका पर अप्रार्थी संख्या 03 का कोई मकान ही नहीं होने से पट्टा खारिज योग्य है। निगरानी पट्टा प्रारूप 23 के नियम 167 आबादी भूमि का विक्रय विलेख में जारी किया गया है। जबकि अप्रार्थी संख्या 03 के नाम के निगरानीधीन पट्टा जारी करने से पूर्व नियम 141 से नियम 154 की कोई पालना नहीं की गई है। अप्रार्थी संख्या 03 के नाम के कथित पट्टा राशि 1000/– जमा करवाना बताया गया है। जबकि 100/– रूपये से ज्यादा प्रतिफल के पट्टे का पंजीयन करवान विधि अनुसार आवश्यक है। अप्रार्थी संख्या 03 को निगरानीधीन पट्टा पर कोई आवास सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट फलौदी के प्रकरण संख्या 12/2025 में प्रस्तुत मौका कमिश्नर रिपोर्ट से न होना साबित है। निगरानीधीन पट्टो मनगढ़त व फर्जी होने से कारण निरस्त होने से खारिज फरमाया जावे।

5. अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में बताया कि अप्रार्थी संख्या 3 का ग्राम आऊ में पट्टा सुदा कब्जा सूद भूखण्ड आया हुआ है। जो नागौर रोड़ के पूर्व की तरफ व

जिला कलक्टर
फलौदी

नोखड़ा पातवता ग्रेवल सड़क के दक्षिण की तरफ स्थित है। जिसमें पत्थर की पट्टीयां चारो तरफ लगाई हुई है। उक्त भूखण्ड का पट्टा अप्रार्थी संख्या 03 के नाम सें ग्राम पंचायत आऊ से आबादी भूमि का विक्रय विलेख दिनांक 16.12.2004 को जारी किया गया है। जिसका पट्टा रजिस्टर संख्या 05 है। पट्टा संख्या 90 ए, मिसल संख्या 163ए/2004–05 को राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 157 (ख) के तहत नियम 167(1) के अनुसरण में प्रारूप 23 में पंचायत संकल्प संख्या 6 दिनांक 20.11.2004 को अप्रार्थी संख्या 03 के नाम से प्रतिफल की राशि 1000/– रूपये लेकर आबादी भूमि का विक्रय विलेख जारी किया गया था। उक्त भूखण्ड की ग्राम पंचायत आऊ द्वारा अप्रार्थी संख्या 03 को दिनांक 20.02.2014 को भवन निर्माण की इजाजत देने पर अप्रार्थी संख्या 03 द्वारा वादग्रस्त भूखण्ड के चारो तरफ पत्थर के खुटे रोप कर निर्माण सामग्री डलवा दी गई थी। ग्राम पंचायत आऊ द्वारा दिनांक 28.03.2025 को अप्रार्थी संख्या 03 को उसके नाम से जारी पट्टे से जारी पट्टे की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करवाई गई थी। दिनांक 25.03.2025 को अप्रार्थी को सूचना मिली की उसके पट्टासुद भूखण्ड पर कुछ लोग अतिक्रमण कर रहे है, तब अप्रार्थी संख्या 03 ने मौके पर आकर प्रार्थी व उसके परिवार के लोगो को विधि विरूद्व कार्य करने से रोका गया, लेकिन प्रार्थी व उसके परिवार के लोग नहीं माने, प्रार्थी व उसके परिवार के लोगो ने प्रार्थी संख्या 01 के भूखण्ड की पट्टीयां निकालकर, उसमें झुंपानुमा छपरा ट्रेक्टर पर लाकर रख दिया गया, अप्रार्थी संख्या 03 द्वारा मना करने पर प्रार्थी व उसके परिवार के लागे अप्रार्थी संख्या 03 से लड़ाई, झगड़ा करने लग गये, तब अप्रार्थी संख्या 03 ने पुलिस थाना भोजासर में रिपोर्ट कर मौके पर पुलिस बुलाकर शांति व्यवस्था की गई। अप्रार्थी संख्या 03 द्वारा पिछले 20 वर्षो से भी अधिक समय से वादग्रस्त भूखण्ड को पट्टीयों से घेरा हुआ है एवं उसमें निर्माण सामग्री डाली हुई है। प्रार्थी का उक्त भूखण्ड को कोई सरोकार नहीं है। प्रार्थी द्वारा कूटरचित एवं फर्जी पट्टे के आधार पर वादग्रस्त भूखण्ड पर कब्जा करना चाहता है। अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा प्रार्थी व उसके परिवार के विरूद्व सिविल न्यायालय फलौदी में वाद पत्र पेश करने पर प्रार्थी के द्वारा तथाकथित पट्टा संख्या 07 मिसल संख्या 6/19989–99 दिनांक 14.01.1999 का पेश किया, अप्रार्थी संख्या 03 द्वारा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पट्टे की नकल के लिए ग्राम पंचायत आऊ में प्रार्थना पत्र पेश किया, ग्राम पंचायत आऊ द्वारा प्रार्थी संख्या 01 के नाम से कोई पट्टा या मिसल पंचायत रेकर्ड में नहीं होने का लिखित में दिया गया। प्रार्थी की निगरानी गलत आधारों पर होने से खारिज फरमाई जावे।

6. उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस एवं दौराने बहस प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात एंव ग्राम विकास अधिकारी आऊ से प्राप्त मूल रिकार्ड का अवलोकन किया गया। अभिभाषकगण द्वारा बहस के दौरान प्रस्तुत दस्तावेजात एवं तर्को पर विचार मनन किया गया।

7. प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 03 द्वारा लिखित बहस के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन से प्रकट होता है कि विवादित भूखण्ड विक्रय का निर्णय ग्राम पंचायत आऊ द्वारा पंचायती राज अधिनियम 1956 के नियम 157 के तहत पुराने गृह के नियमतिकरण नियम के तहत किया गया है। उक्त नियम के तहत ग्राम पंचायत द्वारा जहां व्यक्ति

जिला कलक्टर
फलौदी

आबादी भूमि में पुराने गृह का कब्जा रखते है एवं पट्टा जारी किये जाने के इच्छुक है, वहां 300 वर्गगज के क्षेत्रफल का नियमितिकरण निर्धारित राशि जमा कराई जाकर किये जाने का प्रावधान है। निगरानी कर्ता द्वारा निगरानी के अन्य आधार में रूप में यह अंकित किया गया है अप्रार्थी संख्या 03 के नाम से बना हुआ पट्टा संख्या 90ए मिसल संख्या 163 ए/2004-05 दिनांक 16.12.2004 एक फर्जी एवं कूटरचित पट्टा है। जिसे प्रथम दृष्टया न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय फलौदी द्वारा संदिग्ध माना जाने से निरस्त करने योग्य है। अप्रार्थी संख्या 03 द्वारा लिखित बहस के साथ संलग्न दस्तावेजो के मिसल के अवलोकन से प्रकट होता है कि अप्रार्थी संख्या 03 रसूल खां पुत्र ताजू खां द्वारा ग्राम पंचायत में भूखण्ड हासिल करवाने के लिए आवेदन किया गया। आवेदन पत्र में भूमि का अधिपत्य 15 वर्षो से होना प्रदर्शित किया गया है। जिसकी मिसल तैयार कर खाली आबादी भूमि का मौका निरीक्षण करवाने हेतु मौका कमेटी गठित की आज्ञा दिनांक 05.08.2004 को जारी की गई। उक्त भूखण्ड का निरीक्षण दिनांक 13.10.2004 को बगताराम, समसदीन, राणाराम एवं भेराराम के द्वारा किया गया। बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 25.10.2004 के अवलोकन से प्रकट होता है कि कार्यवाही विवरण में मिसल संख्या में कांट-छांट की गई । इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा की गई कार्यवाही संदेहजनक है।

8. राजस्थान पंचायतराज अधिनियम 1996 के नियम 140 से 156 तक आबादी भूमि के विक्रय एवं निष्पादन (क्रैच्चैःह) की प्रक्रिया नियत की गई है।
जहां तक भूखण्ड आवंटन की प्रक्रिया का प्रश्न है, नियम 145 के तहत

1- आवेदक को लिखित आवेदन से ऐसा विवरण प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है उसमें उसका ऐसा विवरण देते हुए करेगा जो क्रय के लिए के लिए प्रस्तावित भूमि की पहचान के लिए पर्याप्त हो।

2- आवेदक अपने आवेदन के साथ स्थल निरीक्षण के व्ययों के पेंटे पच्चीस रूपये की राशि जमा करायेगा।

3- यदि आवेदन के साथ स्थल नक्शा संलग्न नहीं किया हो तो नक्शा तैयार करने के लिए भी पच्चीस रूपये जमा करायेगा। ऐसे मामलें मे सचिव आवेदक की उपस्थिति में स्थल निरीक्षण करने के पश्चात स्थल नक्शा तैयार कराये जाने का प्रावधान है।

नियम 146 के अनुसार सचिव ऐसे आवेदकों की पत्रावली खोलेगा एवं लम्बित प्रार्थना पत्रों में वांछित भूखण्डों के निरीक्षण के लिए बैठक में प्रस्तुत करेगा। प्रकरण में आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन के साथ पंचायत नक्शा फार्म की प्रति प्रस्तुत की है किन्तु इस पर नक्शा बनाने वालों या ग्राम सेवक के हस्ताक्षर नहीं है। न ही नक्शें पर प्रस्तावित भूखण्ड के आस-पड़ौस अंकित किये गये है। ग्राम सचिव द्वारा ऐसी कोई कार्यवाही भी नही की गई है।

9. अप्रार्थी संख्या 03 के आवेदन के बिन्दु संख्या 5 में आवेदित भूखण्ड पर 15 वर्षो के दौरान कब्जा होने का उल्लेख किया गया है, जबकि आदेशिका में इसका कोई उल्लेख नही किया गया है।

जिला कलक्टर
फलौदी

10. इसी प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा कार्यालय के पत्र क्रमांक SPL.1 दिनांक 20.02.2014 को अप्रार्थी संख्या 03 रसूल खान पुत्र श्री ताजू खान को प्लांट पट्टा संख्या 90ए पट्टा रजिस्टर संख्या 05 मिसल संख्या 163 ए/2004–05 दिनांक 16.12.2004 पर भवन निर्माण कार्य करने की अनुमति ग्राम पंचायत आऊ से चाही गई थी। ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा 20.02.2014 को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया है। दिनांक 15.02.2025 को ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 03 को पट्टे की प्रमाणित प्रति भी दिया जाना प्रकट होता है।

11. उक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा निगरानीधीन पट्टे का रिकार्ड ग्राम पंचायत में नहीं होना कार्यवाही संदिग्ध है एवं सत्यता से परे होना प्रतीत होता है।

12. अतः उक्तानुसार प्रकरण विकास अधिकारी, पंचायत समिति आऊ को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिए जाते है कि विकास अधिकारी पंचायत समिति आऊ निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत पट्टा संख्या 163 ए/2004–05 के संबध में तथ्यों की जांच एवं तथ्यों का परीक्षण इस आशय से करे कि उक्त भूखण्ड का पट्टा ग्राम पंचायत के द्वारा जारी किया गया है या नहीं। विकास अधिकारी पंचायत समिति आऊ यह भी जांच करे कि अप्रार्थी संख्या 03 को प्रमाणित प्रति किस आधार पर सरपंच द्वारा 15.02.2025 को उपलब्ध करवाई गई। यदि उक्त पट्टा प्रमाणित नहीं पाया जाता है या बनावटी है तो इसको खारिज किये जाने के लिए विधिक कार्यवाही आगामी 03 माह में किया जाना सुनिश्चित करें एवं यह भी निर्देश दिए जाते है कि प्रश्नगत पट्टा संख्या 163 ए/2004–05 दिनांक 16.12.2004 ग्राम पंचायत आऊ द्वारा जारी की प्रभावशीलता न्यायालय के अग्रिम आदेशों तक शून्य मानी जावे।

13. पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। पत्रावली नंबर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 23/09/25 सरेइजलास सुनाया गया।

जिला कलक्टर फलौदी सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
फलौदी (राज.)
जिला कलक्टर फलौदी